न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीगोद कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – रमेश कुमार कराडिया, आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नंबर – 3292/2014
एफआईआर नंबर – 50/2010, पुलिस थाना सीमलिया

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी ।

–अभियोगी

ब ना म

1. ललित मोहन चौहान पुत्र वसन्त कुमार, निवासी रामसदन शीतला माता गली सदर झालावाड, थाना सदर, जिला झालावाड **(फौत)**
2. नाथी बाई पत्नी कल्लू खां,
3. रईस खां पुत्र अजीज खां,
4. अजीज खां पुत्र खुमान खां **(फौत)**
5. अब्दुल वहीद पुत्र मंगू खां,

निवासीगण कवरपुरा, थाना सुल्तानपुर, जिला कोटा (राज.)

–अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120(बी) भारतीय दंड संहिता

उपस्थित:–

1. अभियोजन अधिकारी श्री लोकेश राठौर – राज्य की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार सक्सैना– अभियुक्तगण नाथी बाई, रईस खां व अब्दुल वहीद की ओर से।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

अपराध की तिथि	28.12.2006
प्रथम सूचना रिपोर्ट	23.02.2010
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि	08.11.2013

Authenticated Document

आरोप विरचित किये जाने की तिथि	13.07.2026
साक्ष्य आरम्भ किये जाने की तिथि	18.09.2023
निर्णय की तिथि	20.07.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि(यदि हो तो)	20.07.2026

<u>अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण</u>

क्र सं	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्तगण पर आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गए दण्ड का विवरण (यदि को हो तो)	धारा 428 द-प्र-सं- के परिवीक्षा हेतु अवधि
1.	नाथी बाई	अग्रिम जमानत		420, 406, 467, 468, 471, 120(बी) आईपीसी	दोषसिद्ध	धारा 420, 406 में प्रत्येक अभियुक्त 2 वर्ष, 5–5 हजार रूपये, धारा 467, 468, 471 में प्रत्येक अभियुक्त 3 वर्ष, 5–5 हजार रूपये, धारा 120(बी) में प्रत्येक अभियुक्त 6 माह, 2–2 हजार रूपये	
2.	रईस खाँ	अग्रिम जमानत			दोषसिद्ध		
3.	अब्दुल वहीद	अग्रिम जमानत			दोषसिद्ध		

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूची</u>

क. अभियोजन साक्ष्य

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी.ड. 1	नीतिन भटनागर	फर्द जप्ती फसल रिकॉर्ड साक्षी

Authenticated Document

पी.ड. 2	सत्यनारायण	ऑडिट रिपोर्ट साक्षी
पी.ड. 3	मनोज कुमार	फर्द जप्ती बैंक रिकॉर्ड साक्षी
पी.ड. 4	हेमंत कुमार	फर्द जमाबंदी साक्षी
पी.ड. 5	अब्दुल रशीद	प्रारंभिक अनुसंधान अधिकारी
पी.ड. 6	चतुर्भुज	फर्द बिक्री स्टाम्प साक्षी
पी.ड. 7	धनराज सिंह चौहान	नोटेरी साक्षी
पी.ड. 8	शैलेश शर्मा	तस्दीक रेवेन्यू रिकॉर्ड साक्षी
पी.ड. 9	मुकेश पोरवाल	ऋण भुगतान साक्षी
पी.ड. 10	बनवारीलाल	अग्रिम अनुसंधान अधिकारी
पी.ड. 11	रामप्रसाद नागर	फोटो व पहचान पत्र प्रमाणितकर्ता साक्षी
पी.ड. 12	रविन्द्र सिंह	अनुसंधान अधिकारी/चार्जशीट पेशकर्ता

ख. प्रतिरक्षा साक्ष्य

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
निल		

ग. न्यायालय साक्ष्य

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
निल		

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

क.अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1.	प्रदर्श पी–1	फर्द जप्ती ऋण पत्रावली
2.	पुनः प्रदर्श पी–1	असल ऋण पत्रावली
3.	प्रदर्श पी–2	ऑडिट रिपोर्ट क्रम 130
4.	प्रदर्श पी–3	ऋण प्राप्त करने का बाउचर
5.	प्रदर्श पी–4	बैंक स्टेटमेंट

6.	प्रदर्श पी–5	तहरीरी रिपोर्ट
7.	प्रदर्श पी–9	फर्द जप्ती
8.	प्रदर्श पी–10	नाथी बाई द्वारा बैंक में प्रस्तुत जमाबंदी
9.	प्रदर्श पी–11	नाथी बाई द्वारा बैंक में प्रस्तुत शपथ पत्र
10.	प्रदर्श पी–12 व 13	नाथी बाई द्वारा दिया गया अधिकार पत्र
11.	प्रदर्श पी–14	असल नोटेरी रजिस्टर
12.	प्रदर्श पी–15	सर्च रिपोर्ट
13.	प्रदर्श पी–16	तहसीलदार प्रमाण पत्र
14.	प्रदर्श पी–17 व 17 ए	शिड्युल फार्म 6(1)
15.	प्रदर्श पी–18	मुरलीधर की जमीन की कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी
16.	प्रदर्श पी–19	सत्यनारायण की जमीन की कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी
17.	प्रदर्श पी–20	प्रहलाद की जमीन की कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी
18.	प्रदर्श पी–21	विभागीय जांच
19.	प्रदर्श पी–22	सर्च रसीद
20.	प्रदर्श पी–23 व 24	नाथी बाई का फोटो पहचान पत्र
21.	प्रदर्श पी–25	रईस अहमद का फोटो पहचान पत्र
22.	प्रदर्श पी–26 व 26 ए	अजीज खां का फोटो पहचान पत्र
23.	प्रदर्श पी–27 व 28	अब्दुल वहीद का फोटो पहचान पत्र
24.	प्रदर्श पी–29	नाथी बाई द्वारा बैंक में प्रस्तुत गिरदावरी
25.	प्रदर्श पी–30	नक्शा ट्रेस
26.	प्रदर्श पी–31	बेबाकी प्रमाण पत्र

Authenticated Document

27.	प्रदर्श पी–32	नाथी बाई की वोटर आईडी कार्ड की फोटो प्रति
28.	प्रदर्श पी–33	हाडौती किसान ग्रामीण बैंक द्वारा दिए गए अंतिम आदेश की प्रति
29.	प्रदर्श पी–34	विड्रोल रसीद
30.	प्रदर्श पी–35	स्टाम्प वेंडर चतुर्भुज का अनुज्ञापत्र
31.	प्रदर्श पी–36	नोटेरी वकील धनराज सिंह के रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
32.	प्रदर्श पी–37	नाथी बाई व रईस अहमद की भूमि के संबंध में रिकॉर्ड प्राप्त करने हेतु तहसीलदार दीगोद को लिखा गया पत्र
33.	प्रदर्श पी–38	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त ललित मोहन

ख. प्रतिरक्षा प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
	निल	

ग. न्यायालय प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
	निल	

– नि र्ण य– **दिनांक– 20.07.2026**

नोट– अभियुक्त ललित मोहन व अजीज खां की फौत हो जाने के कारण उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है। यह निर्णय अभियुक्तगण नाथी बाई, रईस खां व अब्दुल वहीद के विरुद्ध पारित किया जा रहा है।

01. श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, कोटा के आदेश क्रमांक 1087 दिनांक 07.04.2021 की पालना में यह प्रकरण विधिवत सुनवाई हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीगोद से अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर, दर्ज

रजिस्टर किया गया। जिसका हस्तगत निर्णय के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी परमानंद ने पुलिस थाना सीमलिया के समक्ष एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि हाडौती क्षेत्रिय किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कृषक श्रीमती नाथी बाई पुत्री कल्लूखां, रईश अहमद पुत्र अजीज खां मुसलमान नि० कवरपुरा द्वारा दिनांक 28–12–06 को 3,50,000/– की श्रण सुविधा हेतु स्वयं की आराजियात ख०न० 232, 222, 553, 689, 135 की कुल 12.48 है. भूमि होना वर्णित किया तथा शपथ पत्र में उक्त आगामी कही रहन नहीं होने से भारमुक्त होने का कथन किया तथा प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न तथाकथित जमाबन्दी की पटवारी द्वारा सत्यप्रतिलिपि खाता न० 115 पुराना 22 दिनांक 15–10–06 भी प्रस्तुत की थी, जिसमें रहन बाबत् कोई अंकन नहीं था। इस पर बैंक द्वारा आवेदन पर जमाबन्दी व शपथ पत्र के आधार पर दि० 28/12/06 को 3,50,000/– रू० की राशि का श्रण स्वीकृत किया गया तथा नाथी बाई व रईश द्वारा दि० 28/12/06 को बैंक श्रण दृष्टिबन्धु करार निष्पादित किया गया श्रण आवेदन हेतु अजीज खां पुत्र सुमान खां व अब्दुल वहीद पुत्र मंगू खां मुसलमान निवासी कवरपुरा द्वारा स्वीकृत ऋण की अदायगी बाबत गारण्टी विलेख दिनांक 28/12/06 को निष्पादित किये ऋण नाथी बाई व रईश अहमद द्वारा स्वीकृत श्रण 3.50 लाख का खाते में आहाण कर लिया तथा दिनांक 31/3/08 को 3,86,247/– धाम श्रेणी से लेना बकाया है। उच्चाधिकारीयों के निर्देशों पर दस्तावेजों की जांच के दौरान श्रणियों द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी व रेवेन्यु रिकोर्ड फर्जी पाये गये...........इत्यादि। अतः कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया।

03. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सीमलिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 50/2010 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण ललित मोहन, नाथी बाई, रईस खां, अजीज खां व अब्दुल वहीद के विरूद्ध धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120(बी) भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा

420, 406, 467, 468, 471, 120(बी) भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया।

04. बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्तगण के उपस्थित आने पर उनको धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120(बी) भारतीय दंड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो उन्होंने आरोपों को सुन व समझ कर अस्वीकार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.–1 नितिन भटनागर, पी.ड.–2 सत्यनारायण, पी.ड.–3 मनोज कुमार, पी.ड.–4 हेमंत कुमार, पी.ड.–5 अब्दुल रशीद, पी.ड.–6 चतुर्भुज, पी.ड.–7 धनराज सिंह, पी.ड. 8 शैलेश, पी.ड. 9 मुकेश पोरवाल, पी.ड. 10 बनवारी लाल, पी.ड. 11 रामप्रसाद व पी.ड. 12 रविन्द्र सिंह को परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी. –1 लगायत प्रदर्श पी. –38 आदि दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

06. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्तगण नाथी बाई, रईस खां व अब्दुल वहीद के अभिकथन अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया और साक्ष्य सफाई पेश करने से इन्कार किया।

07. बहस अंतिम उभय पक्ष की सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण ने कथन किया कि परिवादी परमानंद की फौत हो चुकी है। मुख्य अभियुक्त ललित मोहन की फौत हो चुकी है। उसने बिना जांच किये ऋण दिया, उसको दस्तावेज की जांच करने के बाद ही ऋण देना चाहिए था। तीसरे अनुसंधान अधिकारी के बयान नहीं हुए। अभियुक्तगण को झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा किसी दस्तावेजात की कूटरचना नहीं की और ना ही उनका छल के आशय से उपयोग में लिया गया, इसलिए उन्होंने अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस अभियोजन का तर्क रहा कि अभियुक्तगण ने बैंक के साथ छल किया है और सभी दस्तावेज कूटरचना से तैयार

Authenticated Document

कर बेईमानीपूर्वक बैंक से लोन ले लिया गया है। साथ ही मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने का कथन किया तथा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया तथा पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया।

08. हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदू यह है कि:–

'' क्या अन्वीक्षाधीन अभियुक्तगण ने दिनांक 28.12.2006 को किसी समय आपराधिक षडयंत्र के तहत हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा सीमलिया को धोखा देने के प्रयोजन से फर्जी जमाबंदी व अन्य दस्तावेज तैयार कर मूल्यवान प्रतिभूतियों की कूटरचना कर व उनको बेईमानी से असली रूप में उपयोग करते हुए असली होने की प्रवंचना कर बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत बैंक को लोन परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित कर लोन प्राप्त किया? ''

"यदि हां, तो उचित दण्ड की मात्रा क्या होगी'' ?

<u>उपरोक्त विचारणीय बिन्दू पर साक्ष्य समीक्षा व न्यायालय का विनिश्चय निम्न प्रकार है–</u>

09. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला संदेह से परे साबित करना होता है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को देखें तो **गवाह पी.ड. 1 नीतिन भटनागर** की मुख्य परीक्षा से स्पष्ट है कि दिनांक 06.04.2010 को उसके सामने शाखा प्रबंधक परमानंद ने फसल ऋण पत्रावली संख्या 542, ऑडिट रिपोर्ट क्रमांक 130, ऋण द्वारा रकम प्राप्त करने का वाउचर और अकाउंट स्टेटमेंट नं. 542 को जप्त किया था। असल ऋण पत्रावली प्रदर्श पी–8, ऑडिट रिपोर्ट प्रदर्श पी–2, वाउचर प्रदर्श पी–3 व बैंक स्टेटमेंट सं. 542 प्रदर्श पी–4 है। यह गवाह उक्त दस्तावेजों को जप्त किये जाने का औपचारिक गवाह है। **गवाह पी.ड. 2 सत्यनारायण** की मुख्य परीक्षा से

स्पष्ट है कि उसने बैंक के चैयरमेन के आदेश अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड की खाता सं. 542 नाथी बाई व रईस अहमद की ऋण पत्रावली की ऑडिट की थी, जिसमें पाया गया था कि ललित मोहन द्वारा 3,50,000/–रूपये का क्रेडिट कार्ड का ऋण स्वीकृत किया गया था। लेकिन पत्रावली पर जमानतदारो के हैसियत का कॉलम रिक्त था। संपत्ति दायित्यों की घोषणा पत्र अपूर्ण पाया गया। बिना किसी आधार के ऋण स्वीकृत किया गया था। जमीन पर कब्जा काश्त के संबंध में शाखा प्रबंधक द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गयी थी, जिसका उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट के पेज नं. 26, 27 पर किया गया है। ऋण नियमानुसार स्वीकृत नहीं किया गया था। शाखा प्रबंधक परमानंद मीणा की मृत्यु हो चुकी है। इस गवाह ने मुख्य परीक्षा में शाखा प्रबंधक ललित मोहन की अनियमितताओं व गलतियों को स्पष्ट किया है और उसने अभियुक्ता नाथी बाई व अन्य अभियुक्त के संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं। दौराने जिरह गवाह ने स्वीकार किया कि ऋण शाखा प्रबंधक दस्तावेजों व भूमि का भौतिक सत्यापन करके ही ऋण पास करता है। यह भी स्वीकार किया कि ऋण देते समय काश्तकार के केवल हस्ताक्षर करवाये जाते हैं, बाकी अन्य खानापूर्ति शाखा प्रबंधक द्वारा की जाती है। यह भी स्वीकार किया कि ऋण में दस्तावेजों के अवलोकन व सत्यापन के संबंध में ललित मोहन द्वारा लापरवाही की गई थी। इस गवाह ने अभियुक्त ललित मोहन के विरुद्ध साक्ष्य दी है। अभियुक्त ललित मोहन की फौत हो चुकी है। **गवाह पी.ड. 3 मनोज कुमार** ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड 542 से संबंधित दस्तावेज व अन्य दस्तावेज ऑडिट रिपोर्ट एवं ऋणी द्वारा रकम प्राप्त करने का वाउचर व स्टेटमेंट पुलिस द्वारा उसके सामने जप्त किये गये थे, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी–1 है। असल ऋण पत्रावली प्रदर्श पी–1, ऑडिट रिपोर्ट प्रदर्श पी–2, वाउचर प्रदर्श पी–3 व अकाउंट स्टेटमेंट प्रदर्श पी–4 है। दौराने जिरह गवाह ने स्वीकार किया कि जिस ऋण पत्रावली के दस्तावजे दिये गये थे, वह उसके सामने नहीं लिखे गये और ना ही ऋण उसके सामने दिया गया। यह भी स्वीकार किया कि दस्तावेज उसके द्वारा नहीं दिये गये। इस प्रकार यह गवाह फर्द जप्ती प्रदर्श पी–1 का औपचारिक गवाह है। **गवाह पी.ड. 4 हेमंत कुमार** ने बताया कि नाथी बाई ने किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण

पत्रावली में लगायी गयी नकल जमाबंदी उसके द्वारा तैयार नहीं की गयी। जमाबंदी प्रदर्श पी–10 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर नहीं है। दौराने जिरह गवाह ने स्वीकार किया कि वह नकल जारी करने के लिए अधिकृत नहीं है। नकल किसके द्वारा जारी की गयी, उसे जानकारी नहीं है। इस गवाह ने प्रदर्श पी–10 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। **गवाह पी.ड. 5 अब्दुल रशीद** की मुख्य परीक्षा से स्पष्ट है कि दौराने अनुसंधान परमानंद मीणा के बयानों को लेखबद्ध किया गया था, फिर उसका ट्रांसफर हो गया था। **गवाह पी.ड. 6 चतुर्भुज** की मुख्य परीक्षा से स्पष्ट है कि दिनांक 23.12.2006 को उसने नाथी बाई को 10/–रूपये का स्टाम्प बेचा था, जिसका इंद्राज रजिस्टर के क्रमांक 2582 दिनांक 23.12.2006 पर किया गया था। नाथी बाई को दिया गया स्टाम्प प्रदर्श पी–11 है तथा नाथी बाई द्वारा लिये गये अन्य स्टाम्प प्रदर्श पी–12 व पी–13 है। दौराने जिरह गवाह ने स्वीकार किया कि स्टाम्प स्वयं नाथी बाई ने लिया था। लिखा–पढी किसने की थी, उसे नहीं पता। स्टाम्प किसके लिये लिया था, उसे नहीं पता। इस प्रकार इस गवाह ने अभियुक्ता नाथीबाई द्वारा बैंक में प्रस्तुत शपथ पत्र प्रदर्श पी–11 का स्टाम्प उसके द्वारा ही खरीदना बताया है। **गवाह पी.ड. 7 धनराज सिंह** द्वारा स्पष्ट किया गया कि उसने नाथीबाई के शपथ पत्र को तस्दीक किया था, जो प्रदर्श पी–11 है, जिस पर सी से डी दो जगहों पर उसके हस्ताक्षर है तथा नाथीबाई के अधिकार पत्र प्रदर्श पी–12 व 13 को अटेस्टेड किया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। असल नोटेरी रजिस्टर प्रदर्श पी–14 है, जिस पर ए से बी नाथी बाई द्वारा अटेस्टेड कराया गया शपथ पत्र तथा अटेस्टेड कराया गया अधिकार पत्र का इंद्राज रजिस्टर क्रम संख्या 3130 व 3131 पर है। दौराने जिरह गवाह ने स्वीकार किया कि नाथी बाई की पहचान किसी के द्वारा नहीं की गई। इस प्रकार इस गवाह ने प्रदर्श पी–11 नाथी बाई के लिये तस्दीक कराना बताया है। **गवाह पी.ड. 8 शैलेश शर्मा** ने बताया कि दिनांक 23.12.2003 को उसने सर्च रिपोर्ट प्रदर्श पी–15 बनायी थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। ग**वाह पी.ड. 9 मुकेश पोरवाल** ने मुख्य परीक्षा में बताया कि एचकेसीसी खाता संख्या 542 का ऋण उसके द्वारा भुगतान नहीं किया गया था।

Authenticated Document

रिकॉर्ड को देखने पर पाया था कि भुगतान शाखा प्रबंधक ललित मोहन के द्वारा ऋणी रईस अहमद को किया गया था। भुगतान दिनांक 29.12.2006 को किया गया था। भुगतान करते समय कैशियर के हस्ताक्षर करवाने आवश्यक थे, लेकिन शाखा प्रबंधक ने नहीं करवाये। चैक नं. 139481 पर कैशियर के हस्ताक्षर नहीं है। दौराने जिरह गवाह ने स्वीकार किया कि ऋण प्राप्ति की खानापूर्ति बैंक के द्वारा की जाती है। ऋण प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर करवाये जाते हैं। **गवाह पी.ड. 10 बनवारी लाल** की मुख्य परीक्षा से स्पष्ट है कि उसके द्वारा पत्रावली में अग्रिम अनुसंधान किया गया था, जिसने बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120(बी) भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित पाया था। दौराने जिरह गवाह ने स्वीकार किया कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी, खसरा गिरदावरी उसके द्वारा तहसील में जाकर हल्का पटवार से सत्यापन नहीं करवाये गये। उसने मौके पर जाकर जमीन का सत्यापन नहीं किया। यह भी स्वीकार किया कि उसने अनुसंधान पूर्ण नहीं किया था। **गवाह पी.ड. 11 रामप्रसाद** ने मुख्य परीक्षा में बताया कि उसने नाथीबाई, रईस अहमद, अजीज खान और अब्दुल वहीद के हाडौती बैंक सीमलिया में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने व ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक द्वारा फोटो व पहचान पत्र उसके द्वारा प्रमाणित किये गये थे, जो प्रदर्श पी–23, 24, 25, 26, 27 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी संबंधित काश्तगारों के हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–23, 24, 25, 27 पर हस्ताक्षर किये थे, वह उसके पंचायत क्षेत्र के काश्तगार व्यक्ति थे और उनकी जमीन थी। **गवाह पी.ड. 12 रविन्द्र** ने मुख्य परीक्षा में बताया कि दौराने अनुसंधान उसने मुल्जिम ललित मोहन को जरिये फर्द प्रदर्श पी–38 उसके द्वारा गिरफ्तार किया था। बाद अनुसंधान उसने अभियुक्तगण नाथी बाई, रईस अहमद, वहीद खान, अजीज खां व ललित मोहन के विरुद्ध धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120(बी) भारतीय दंड संहिता में चार्जशीट पेश की थी। इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहों के बयानों को प्रदर्शित कराये गये दस्तावजों के संबंध में देखें तो प्रदर्श पी–1 किसान क्रेडिट कार्ड की असल ऋण पत्रावली खाता सं. 542 है, जिसमें नाथी बाई व रईस अहमद के

हस्ताक्षर है। दौराने जांच यह पाया गया कि उक्त ऋण पत्रावली में कतिपय कॉलमस् की पूर्ति नहीं की गई है। जिसके संबंध में पत्रावली को देखें तो शाखा प्रबंधक ललित मोहन का दायित्व था कि वह लोन पत्रावली के कॉलमों की पूर्ति करता।

अभियुक्तगण नाथी बाई व रईस अहमद व अब्दुल वहीद पर प्रदर्श पी–16, पी–10 व पी–11 की कूटरचना द्वारा तैयार कर उसके आधार पर लोन प्राप्त करने का आरोप है। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध पूर्ण रूप से दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है। इस संबंध में प्रदर्श पी–16 को देखें तो प्रदर्श पी–16 में नाथी बाई के ख.नं. 232, 222, 553, 689, 135 खाता सं. 115 में कोई ऋण बकाया नहीं होना अंकित है। प्रदर्श पी–10 जमाबंदी में ख.नं. 232, 222, 553, 689, 135 नाथीबाई का होना अंकित है। अभियोजन की ओर से पेश गवाह पटवारी हेमंत कुमार ने प्रदर्श पी–10 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। प्रदर्श पी–11 पर अभियुक्ता नाथी बाई की अंगुठा निशानी मौजूद है और इसे नाथीबाई द्वारा बनवाया गया है। इस संबंध में अभियोजन की ओर से पेश गवाहों के बयानों को देखें तो गवाह पी.ड. 6 चतुर्भुज द्वारा उक्त स्टाम्प नाथी बाई द्वारा खरीदना व गवाह पी.ड. 7 धनराज द्वारा नाथी बाई के लिये स्टाम्प को तस्दीक करना बताया गया है। अभियुक्ता नाथी बाई द्वारा प्रदर्श पी–11 बैंक में ऋण के लिये प्रस्तुत किया गया था। इस संबंध में अभियोजन की ओर से प्रदर्शित कराये गये अन्य दस्तावेजों को देखें तो प्रदर्श पी–18 में ख.नं. 222 में मुरलीधर, प्रदर्श पी–19 में ख.नं. 232 में सत्यनारायण, प्रदर्श पी–20 में ख.नं. 553 में प्रहलाद का हिस्सा अंकित है, जो कि राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणित प्रतिलिपियां है। शपथ पत्र प्रदर्श पी–11 में अभियुक्ता नाथी बाई ने अंकित किया कि ख.नं. 232, 222, 553, 689, 135 की वह मालिक व स्वामी है, जिसे रहन, बैय आदि करने का अधिकार उसे प्राप्त है और उस पर उसने कोई ऋण नहीं ले रखा। जमाबन्दी प्रदर्श पी–18, पी–19 व पी–20 के तथ्य शपथ पत्र प्रदर्श पी–11 से विरोधाभासी है और आपस में मेल नहीं खाता है, जिसके कारण नाथी बाई द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र प्रदर्श पी–11 में अंकित तथ्य मिथ्या पाये जाते हैं। इस प्रकार उक्त दस्तावेज फर्जी रूप से तैयार किया जाना स्पष्ट है। जांच

Authenticated Document

रिपोर्ट प्रदर्श पी–21 को देखें तो उसमें भी पृष्ठ संख्या 2 पर ख.नं. 232, 222, 553, 689, 135 मुरलीधर के नाम होना व ख.नं. 232 सत्यनारायण व ख.नं. 553 प्रहलाद के नाम अंकित होना बताया गया है। पत्रावली पर प्रदर्श पी–12 अधिकार पत्र संलग्न है, जो अभियुक्ता नाथी बाई द्वारा अभियुक्त रईस अहमद के पक्ष में बनवाया गया है, जिसमें उसने ख.नं. 232, 222, 553, 689, 135 की स्वयं की मालिक व स्वामी होना अंकित है। उक्त दस्तावेज द्वारा उसने अभियुक्त रईस अहमद को उसकी जगह ऋण पत्रावली व दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के संबंध में नियुक्त किया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण रईस व नाथीबाई दोनों यह जानते हुए कि उक्त खसरा नम्बरान 232, 222 में नाथीबाई का कोई हक व हिस्सा नहीं है, फिर भी उक्त खसरा नम्बरान के संबंध में मिथ्या जमाबंदी प्रदर्श पी–10 तैयार करवा बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिये जाने हेतु प्रस्तुत की गई, जिसके गारंटर के तौर पर अजीज खान व अब्दुल वहीद द्वारा हस्ताक्षर किये गये। इस प्रकार उन्होंने भी मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत करने में सहायता की है। यद्यपि, बैंक लोन लिये जाने में शाखा प्रबंधक ललित मोहन व सर्च रिपोर्टकर्ता शैलेश की पूर्ण लापरवाही रही है, लेकिन अभियुक्तगण की पूर्ण जिम्मेदारी थी कि ऋण प्राप्त करते समय वास्तविक तथ्यों को बैंक के समक्ष उजागर करते, लेकिन उनके द्वारा बैंक से मिथ्या कूटरचित दस्तावेजों शपथ पत्र प्रदर्श पी–11 व जमाबंदी प्रदर्श पी–10 मिथ्या तथ्य अंकित करते हुए प्रस्तुत किए तथा प्रदर्श पी–16 मिथ्या तैयार कर बैंक के समक्ष पेश किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने शपथ पत्र प्रदर्श पी–11, प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–16, जमाबंदी प्रदर्श पी–10 की कूटरचना की व छल के प्रयोजन से उसको असल के रूप में उपयोग में लेकर बैंक से लोन प्राप्त किया, इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है, इसलिए अभियुक्तगण को धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120(बी) भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश:–

10. परिणामतः **अभियुक्तगण 1. नाथी बाई पत्नी कल्लू खां, 2. रईस खां पुत्र अजीज खां, 3. अब्दुल वहीद पुत्र मंगू खां, निवासीगण कवरपुरा, थाना सुल्तानपुर, जिला कोटा (राज.)** को अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120(बी) भारतीय दंड संहिता के अपराध के आराप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(रमेश कुमार कराड़िया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दीगोद, जिला कोटा

सजा के प्रश्न पर

11. सजा के प्रश्न पर अधिवक्ता अभियुक्तगण को सुना गया। उनका तर्क है कि अभियुक्तगण निर्धन हैं तथा सन् 2013 से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। प्रथम अपराध है। पत्रावली पर अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अभियुक्तगण ने पूर्व में परिवीक्षा का लाभ नहीं लिया है, इसलिए उन्होंने परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी ने इसका विरोध करते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाकर उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के तर्को को सुना एवं पत्रावली का पुनः अवलोकन किया। संबंधित विधि का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखे तो अभियुक्तगण पर आपराधिक षडयंत्र रचकर बैंक के साथ छल कर ऋण प्राप्त किया और मिथ्या दस्तावजों को तैयार कर कूटरचना करने के मामले में दोषसिद्धि की गई है। ऐसे गंभीर मामले में परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने के कारण उन्हें निम्नानुसार दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Authenticated Document

– दण्डादेश–

12. फलतः **अभियुक्तगण 1. नाथी बाई पत्नी कल्लू खां, 2. रईस खां पुत्र अजीज खां, 3. अब्दुल वहीद पुत्र मंगू खां, निवासीगण कवरपुरा, थाना सुल्तानपुर, जिला कोटा (राज.)** को

अपराध अंतर्गत धारा 420 भारतीय दंड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000/– रूपये शब्देन पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अदम अदायगी जुर्माना प्रत्येक अभियुक्त 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

अपराध अंतर्गत धारा 406 भारतीय दंड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000/– रूपये शब्देन पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अदम अदायगी जुर्माना प्रत्येक अभियुक्त 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

अपराध अंतर्गत धारा 467 भारतीय दंड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को 3 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5,000/– रूपये शब्देन पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अदम अदायगी जुर्माना प्रत्येक अभियुक्त 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

अपराध अंतर्गत धारा 468 भारतीय दंड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को 3 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000/– रूपये शब्देन पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अदम अदायगी जुर्माना प्रत्येक अभियुक्त 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

अपराध अंतर्गत धारा 471 भारतीय दंड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को 3 वर्ष का साधारण कारावास एवं

5,000/– रूपये शब्देन पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अदम अदायगी जुर्माना प्रत्येक अभियुक्त 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

अपराध अंतर्गत धारा 120(बी) भारतीय दंड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को 6 माह का साधारण कारावास एवं 2000/– रूपये शब्देन दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अदम अदायगी जुर्माना प्रत्येक अभियुक्त 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा पी.सी./जे.सी. में भुगती गई अवधि मूल सजा में समायोजित की जावे। सजा का वारंट उपरोक्तानुसार व नियमानुसार बनाया जावे। अभियुक्त द्वारा उपस्थिति हेतु पूर्व में पेश किये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। धारा 437 ए सीआरपीसी के जमानत मुचलके प्रभावी रहेंगे। निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्त को दी जावे।

अभियुक्तगण (1) ललित मोहन चौहान पुत्र वसन्त कुमार, निवासी रामसदन शीतला माता गली सदर झालावाड, थाना सदर, जिला झालावाड तथा (2) अजीज खां पुत्र खुमान खां, निवासी कवरपुरा, थाना सुल्तानपुर, जिला कोटा की फौत होने के कारण उनके विरुद्ध दिनांक 05.05.2023 को आपराधिक कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है।

(रमेश कुमार कराड़िया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दीगोद, जिला कोटा

13. यह निर्णय आज दिनांक **20.07.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, मुद्राकिंत तथा उद्घोषित किया गया।

(रमेश कुमार कराड़िया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दीगोद, जिला कोटा

RAVI KUMAR MAHAWAR
Steno Gr.III
Digitally signed by RAVI KUMAR MAHAWAR
Date: 2026.07.22 16:47:27 +0530

Authenticated Document